प्रेस नोट थाना सेहरामऊ दक्षिणी
जनपद शाहजहांपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 18.05.2026

थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, सगे भाई की हत्या करने वाला अभियुक्त आलाकत्ल डण्डे सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार जनपद मे अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सेहरामऊ दक्षिणी के कुशल नेतृत्व में थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2026 को थाना स्थानीय पर वादी श्री रानू कुमार पुत्र पप्पू निवासी ग्राम सिवरी, थाना हरियावां, जनपद हरदोई, हाल निवासी ग्राम हैदरपुर, थाना शाहबाद, जनपद हरदोई द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 14.05.2026 को अभियुक्त नरेश पुत्र कोमे निवासी ग्राम हैदरपुर, थाना शाहबाद, जनपद हरदोई द्वारा शराब के नशे में वादी के पिता पप्पू पुत्र प्रागी के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-136/2026 धारा 105 बीएनएस बनाम नरेश पुत्र कोमे निवासी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण की गहन जांच, साक्ष्य संकलन एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के क्रम में आनन्द उर्फ जानकी पुत्र परागी निवासी उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 18.05.2026 को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त संदिग्ध व्यक्ति ग्राम हैदरपुर के बाहर जाने वाले रास्ते पर मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समय करीब 05:00 बजे ग्राम हैदरपुर से डींगुरपुर जाने वाले मार्ग के पास से अभियुक्त आनन्द उर्फ जानकी पुत्र परागी को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही, बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवऱण -

आनन्द उर्फ जानकी उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र परागी निवासी ग्राम हैदरपुर थाना शाहबाद जनपद हरदोई ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0- 136/26 धारा 105 बीएनएस थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।

मु0अ0स0-008/21 धारा 436/504/506 भादवि थाना शाहबाद जनपद हरदोई।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

ग्राम डिंगुरपुर के पास सवैयापुर पुल पर, दिनांक 18.05.2026 समय करीब प्रातः 05.00 बजे

पूंछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक पप्पू उसका सगा भाई था तथा उसकी उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। अभियुक्त ने बताया कि लगभग चार वर्ष पूर्व उसके भाई पप्पू का पुत्र रानू, जो बड़े

वाहनों का चालक है और विभिन्न शहरों में आना-जाना करता रहता है, की पहचान हरिद्वार स्थित एक मैरिज लॉन में कार्य करने वाली काजल एवं उसके परिवार से हुई थी। रानू काजल को पसंद करता था तथा बाद में काजल व उसकी माता कलावती को अपने गांव हैदरपुर लेकर आया था, जहां रानू ने काजल से विवाह कर लिया था। इसी दौरान काजल की माता कलावती, जो अपने पूर्व पति से परेशान थी, ने अभियुक्त आनन्द उर्फ जानकी से विवाह कर लिया था। कुछ समय पश्चात रानू की पत्नी काजल उसे छोड़कर अपने पिता के साथ चली गई। इसी बीच कलावती और रानू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। जब-जब रानू ड्राइविंग हेतु बाहर जाता था, उस दौरान कलावती अभियुक्त से भी बातचीत करती थी। इस संबंध की जानकारी अभियुक्त के भाई पप्पू को हो गई थी, जिसके बाद वह अभियुक्त को अक्सर धमकी देता था कि वह उक्त बात रानू को बता देगा। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 14.05.2026 को सायंकाल गांव के निवासी मनोज द्वारा उसे सूचना मिली कि उसका भाई पप्पू ग्राम डींगुरपुर स्थित मरघट के पास कच्चे रास्ते पर शराब के नशे में पड़ा हुआ है। इस पर अभियुक्त मौके पर पहुंचा और पप्पू को उठाकर घर ले जाने का प्रयास किया, किन्तु पप्पू घर चलने के बजाय अभियुक्त एवं कलावती के संबंधों के बारे में जोर-जोर से चिल्लाने लगा। इसी बात से क्रोधित होकर अभियुक्त ने पास के खेत में पड़ा एक डंडा उठाकर पप्पू के सिर पर मार दिया। अभियुक्त ने बताया कि वह स्वयं भी नशे की हालत में था और गुस्से में उसने उक्त वार कर दिया, जिससे पप्पू के सिर से खून बहने लगा। घटना के बाद अभियुक्त घबरा गया और घटना में प्रयुक्त डंडे को मरघट के पास झाड़ियों में छिपाकर वहां से गौशाला में जाकर सो गया। अगले दिन जब उसे अपने भाई की मृत्यु की जानकारी हुई तो वह डर गया और अपने भतीजे रानू के माध्यम से पड़ोसी नरेश के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। अभियुक्त ने बताया कि नरेश ने भी उसे एवं कलावती को साथ देखा था तथा उसे भय था कि नरेश यह बात रानू को बता सकता है, इसलिए स्वयं को बचाने एवं नरेश को झूठे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उसका नाम मुकदमे में लिखवाया गया। अभियुक्त ने बताया कि उपरोक्त कथन सत्य है तथा उसने स्वयं अपने भाई पप्पू की हत्या की है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त का बयान नियमानुसार अंकित किया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।
2. हे0का0 60 रविन्द्र सिंह थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 1977 विन्देश कुमार थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।